



44/2022

प्रपत्र-7

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अंतर्गत

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कैंप यू.ए.

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री. वि. लाल व भू.अ.नि. श्री. वि. लाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री. ए. ए. / नायब तहसीलदार की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुरा पट्टा तहसील यू.ए. व जिला यू.ए. की जमाबन्दी सम्वत् १८८५ में खाता संख्या न. ५८० में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रामपुरा पट्टा कानिया	58,80, 162	राजस्व नम्बे के अन्तर्गत 579/8	अन्तर्गत 647/580 व 648/580
			राजस्व नम्बे के अन्तर्गत 647/580 व 648/580	अन्तर्गत 579/8

पालना (सूचना)  
17.06.2022

पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
(एस.डी.ओ.)  
चूरु

क्रमांक :- 1931-33

दिनांक :- 15.06.2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री. ए. ए. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. रामपुरा पट्टा कानिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। गुजरात के रामपुरा पट्टा कानिया

भू-अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
(एस.डी.ओ.)  
चूरु